न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 277/2022
जीएसएमएस सं. – 2022/378

–:: प्रार्थी ::–

1. रखाराम पुत्र लादूराम उर्फ लाबुराम जाति जाट निवासी ग्राम सिलारी तहसील पीपाड़ शहर ।
2. देवाराम पुत्र कानाराम
3. कमा पुत्री कानाराम
4. अम्मू पुत्री कानाराम
5. किशना पुत्री कानाराम जातियान राईका निवासीगण चिरढ़ाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
6. सुखी देवी पत्नि बादरराम जाति राईका निवासी ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. कमल किशोर रामावत पुत्र अचलदास रामावत जाति रामावत (साद) निवासी महामन्दिर जोधपुर जिला जोधपुर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 06.10.2022

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री रामदयाल चौधरी, अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री पृथ्वीराज चौहान अभिभाषक, अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

दिनांक : 01.02.2023

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नं. 331 रकबा 8.7857 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 332 रकबा 4.4091 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे दो कुल रकबा 13.1948 हैक्टेयर भूमि आई हुई हैं जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 634 व पुराना 525 पर इन्द्राजसुदा हैं जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयों के नाम से संबोधित किया जायेगा । प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजीयाँ खसरा संख्या 331 व 332 पास–पास ही स्थित हैं पास–पास स्थित होने के कारण मौके पर एक ही चक के रूप में स्थित हैं। जिसके चारों तरफ 60 वर्ष पुरानी माठे व धोरे 1 कायम हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयों पर बिना रोक टोक शांतिपूर्ण काबिज काश्त होकर काश्त कार्य करते आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयों राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 332/1 रकबा 1.5209 बारानी प्रथम भूमि प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

कब्जासुदा भूमि खसरा संख्या 332 के दक्षिणी तरफ आई हुई हैं जो अप्रार्थी ने आज से करीब 1 वर्ष पूर्व खरीद की है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमियो के चारो तरफ 60 वर्ष पुरानी माठे व धोरे कायम हैं। प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमियॉं खसरा संख्या 331 व 332 कुल रकबा 13.1948 हैक्टेयर है प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमियो के चारों तरफ 60 वर्ष पुरानी माठे व धोरे कायम है जिसका उपयोग प्रार्थीगण शांतिपूर्ण बिना रोक टोक के करते आये हैं। प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमियो की पुरानी माठे व धोरो को लेकर पूर्व में कोई वाद विवाद नहीं हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 332 के दक्षिणी तरफ पुरानी माठे व धोरो के बाद में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 332/1 आई हुई हैं। आप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थीगण की पुरानी माठे व धोरे में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं हैं। दिनांक 02.10.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजीयो पर आया और प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकीयां देने लगा कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजीयो की पुरानी माठे खुर्द बुर्द करते हुए प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयों से बेदखल करुंगा क्योंकि मेरी खातेदारीसुदा भूमि खसरा संख्या 332/1 की तरमीम प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 332 के अन्दर हो रखी हैं इसलिए में प्रार्थीगण के पुरानी माठे व धोरे हटाकर प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयो से बेदखल करके रहूंगा। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयों खसरा संख्या 331 व 332 प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा कब्जासुदा भूमियों हैं। प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमियों मौके पर एक चक में विद्यमान हैं तथा चारो तरफ 60 पुरानी माठे व धोरे कायम हैं प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयो की भूमिया रकबा 13.1948 हैक्टेयर से ज्यादा 1 इंच पर भी कब्जा नहीं हैं। इसलिए आप गलत तरमीम की आड़ में प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयो से बेदखल करने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी हैं इस पर यह वाद बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजीयों प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा कब्जासुदा उपयोग उपभोग की भूमिया हैं वादग्रस्त आराजीयों के चारो तरफ 60 वर्ष पुरानी माठे व धोरे कायम हैं जो माठे व धोरे आज दिनांक तक कायम हैं व वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण शांतिपूर्वक बिना रोकटोक उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अगर अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत तरमीम की आड़ में वादग्रस्त आराजीयो की पुरानी माठे व धोरो को खुर्द बुर्द कर वादग्रस्त आराजीयों से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिनका मूल्यांकन रुपयों पैसों में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाइ जावे कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान वादग्रस्त आराजीयाँ ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या 331 रकबा 8.7857 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा संख्या 332 रकबा 4.4091 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में अप्रार्थी संख्या 1 न तो स्वयं दखलदांजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें । अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी की पुरानी माठे व धोरे को खुर्द बुर्द कर वादग्रस्त आराजीयों से प्रार्थीगण को बेदखल करने की कुचेष्टा न तो

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 1 से 2 के सम्मन बाद तामील प्राप्त, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता पृथ्वीराज चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया और अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार हैं। अप्रार्थी सं. 1 की ओर अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बोयल की राजस्व सीमा में आई हुई है । प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 331, 332 राजस्व रेकर्ड में तरमीमसुदा भूमि हैं। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 332 के दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या एक की खरीदशुदा कब्जाशुदा, तरमीमशुदा भूमि खसरा नंबर 332/1 क्षेत्रफल 1.5209 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है जिसमे अप्रार्थी संख्या एक काबिज काश्त है व अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। प्रार्थीगण आये दिन अप्रार्थी संख्या एक की भूमि खसरा नंबर 332/1 के उत्तरी माठ को खुर्द बुर्द करने पर आमादा रहते है व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि को हड़पने की नियत से व कब्जा करने की नियत से अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी पैदा करते रहते है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 332 व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि खसरा नवर 332/1 अलग अलग खसरान की तरमीमशुदा भूमियाँ है जिसमें किसी व्यक्ति/खातेदार को अन्य खातेदार की भूमि में दखलअंदाजी पैदा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त पद में पूरानी माठे व धोरो को अप्रार्थी संख्या एक की तरमीमशुदा भूमि में बताकर अप्रार्थी संख्या एक की भूमि को हडप करने नियत से उक्त असद्भाविक प्रार्थनापत्र पेश किया है प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आये है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नबंर 332 व अप्रार्थी संख्या एक की भूमि खसरा नवर 332/1 अलग अलग खसरान की तरमीमशुदा भूमियों है जिसमें किसी व्यक्ति ६ खातेदार को अन्य खातेदार की भूमि में दखलअंदाजी पैदा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण ने उक्त पद में पूरानी माठे व धारो को अप्रार्थी संख्या एक की तरमीमशुदा भूमि में बताकर अप्रार्थी संख्या एक की भूमि को हडप करने नियत से उक्त असद्भाविक प्रार्थनापत्र पेश किया है। दिनांक 02.10.2022 को अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण से मिला ही नही तो धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण का यह कथन सरासर गलत है अप्रार्थी संख्या एक की भूमि की तरमीम गलत हो रखी है जबकि प्रार्थीगण ने कभी भी अप्रार्थी संख्या एक की भूमि खसरा नंबर 332/1 की तरमीम को चैलेन्ज नहीं किया है एंव न ही प्रार्थीगण ने अपनी वादग्रस्त भूमियों की पैमाईश अथवा पत्थरगढी नही करवाई है जिससे साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण येन केन प्रकरेण अप्रार्थी संख्या एक की भूमि को हडप कर कब्जा करना चाहते है व अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी पैदा करना चाहते है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध किसी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है अपितु अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या एक की भूमि खसरा नंबर 332/1 में किसी प्रकार से दखलअंदाजी पैदा नही करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित है । प्रार्थीगण के हक में किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नही बनता है क्योकि वादग्रस्त आराजीयाँ राजस्व रेकर्ड में तरमीमशुदा भूमियों है

सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

व मौके पर कायम है। प्रतिवादी संख्या एक की भूमि की तरमीम कराई गलत नहीं हो सकती है प्रतिवादी संख्या एक अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण स्वंय अप्रार्थी संख्या एक की भूमि को हड़पने की बदनियती से उक्त असदभाविक प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

काउन्टर क्लेम/प्रतिप्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थी संख्या एक की ओर से काउन्टर क्लेम/प्रति प्रार्थनापत्र निम्न प्रकार से है – ग्राम बोयल तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारीशुदा, तरमीमशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 332/1 क्षेत्रफल 1.5209 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है, जिसको आगे काउन्टर प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 मय नक्शा की प्रति संलग्न पेश है। अप्रार्थी संख्या एक की भूमि खसरा नंबर 332/1 के उत्तर तरफ प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 332 की भूमि स्थित है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक की भूमि के उत्तरी माठ को खुर्द बुर्द कर कब्जा करना चाहते है जिस हेतु अप्रार्थी संख्या एक ने कई बार प्रार्थीगण से समझाईश की लेकिन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक को ऐलानियाँ कहा कि हम तुम्हारे खेत खसरा नंबर 332/1 के उत्तर दिशा की तरफ कब्जा कर तुम्हें जबरन बेदखल कर देगें जबकि प्रार्थीगण ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है इस पर यह काउन्टर प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान व अन्तिम निर्णय तक अप्रार्थी संख्या एक के हक में व प्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि ग्राम बोयल की राजस्व सीमा में स्थित अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारीशुदा तरमीमशुदा भूमि खसरा नंबर 332/1 क्षेत्रफल 1.5209 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे व उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 332/1 के उत्तरी माठ को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम/प्रति प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या, बनावटी, आधारहीन, गलत तथ्यो पर आधारित होने से काबिल खारिज फरमाने योग्य है जो खारिज फरमाया जावें व अप्रार्थी सं. एक का काउन्टर क्लेम/प्रति प्रार्थना पत्र माफिक इस्तदुआ स्वीकार फरमाया जावें। अन्य अनुतोष जो हित अप्रार्थी सं. एक हो अप्रार्थी सं. एक के पक्ष में अता फरमावें।

अप्रार्थीगण की ओर से काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी वकील द्वारा दिया गया जो निम्न प्रकार से है कि यह है कि काउन्टर प्रार्थना की पद संख्या 1 का जवाब इस प्रकार से हैं कि ग्राम बोयल की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 331 रकबा 8.7857 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 332 रकबा 4.4091 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे दो कुल रकबा 13.1948 हैक्टेयर भूमि आई हुई हैं जो राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज हैं जिसको प्रार्थी संख्या 1 रखाराम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उर्फ रखिया ने दिनांक 16.01.1960 को महाराजा हरीसिंह साहब पुत्र उम्मेदसिंहजी के कामदार भूपालसिंह से खरीद की थी। खरीद करने के पश्चात प्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खरीदसुदा भूमियों के 1/4 वॉ हिस्से को प्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता स्व. कानाराम व प्रार्थी संख्या 6 सुखीदेवी को बैचान किया था। कामदार भूपालसिंह से खरीद करने के पश्चात प्रथम बिगोडी दिनांक 26.03.1963 को बनी वह भी प्रार्थी संख्या 1 के नाम से ही भरी गई। बैचान दिनांक 16.01 1960 व बिगोडी दिनांक 26.03.1963 व म्यूटेशन 05.06.1960 को प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ। खरीद करने के पश्चात जो कब्जा बैचानकर्ता भूपालसिंह ने प्रार्थी संख्या 1 को सुपूर्द किया उस जगह पर आज दिनांक तक प्रार्थीगण काबिज हैं वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 331 व 332 पास–पास स्थित होने के कारण मौके पर एक ही चक में स्थित हैं। खरीद वक्त से खसरा संख्या 331 व 332 के चारों तरफ पुरानी माठे व धोरे कायम हैं जिसका प्रार्थीगण बिना रोक टोक शांतिपूर्ण काबिज होकर काश्त कार्य करते आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 332/1 हैं। जिस भूमि पर कभी भी अप्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है व न ही उसके पूर्व खातेदार का कब्जा रहा है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजीयाँ खसरा संख्या 332 की पुरानी माठों से दक्षिणी तरफ प्रार्थी संख्या 1 द्वारा जब दिनांक 16.01. 1960 को जमीन खरीद की थी उस समय खसरा संख्या 332 का कुछ हिस्सा बचा हुआ पड़ा था जिसको अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्व खातेदारो ने खरीदा था व आगे से आगे बैचान होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने खरीदा। प्रार्थी संख्या 1 के खरीदसुदा भूमि के दक्षिणी तरफ खसरा संख्या 332 का भू–भाग जिस पर आज दिनांक तक कभी काश्त नहीं हुई हैं खाली बंजर रूप में पड़ा हैं जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 331 व 332 के चारों तरफ पुरानी माठे कायम हैं जिस पर खरीद से लेकर आज दिनांक तक काश्त कार्य हो रहा हैं। खसरा संख्या 332/1 के खातेदारो ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण की खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि की तरमीम गलत तरीके से करवा दी। गलत तरमीम की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा भूमि को हड़प करना चाहते हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखित करना आवश्यक हैं कि खसरा संख्या 331 व 332 की राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो गलत तरमीम की गई हैं वह प्रार्थीगण को बिना सुने एवं न ही मौके पर आकर नाप चौप करके की हैं केवल सरकारी दफ्तर में बैठकर गलत तरमीम की गई हैं। खसरा संख्या 332/1 के खातेदार ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खसरा संख्या 332/1 की तरमीम बोयल से जसपाली डामर सड़क पर प्रार्थीगण की भूमि को शामिल करते हुए आयताकार रूप में बिना कब्जे होते हुए भी तरमीम कर दी। जिनका मात्र उद्देश्य खसरा संख्या 332/1 में प्लॉट काटकर बैचान करना था। प्रार्थीगण की कब्जासुदा भूमि को छोड़कर खसरा संख्या 332/1 के खातेदार कमलकिशोर ने मौके पर प्लॉट काटे रखे हैं। प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा कब्जासुदा भूमि खसरा संख्या 331 व 332 एक चक के रूप में विद्यमान हैं जिसमें चारो तरफ पुरानी माठे कायम हैं जो 60 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। खसरा संख्या 332/1 के खातेदार ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा कब्जासुदा भूमि को हडप करने की बदनियति से खसरा संख्या 332/1 की तरमीम गलत दर्ज कर दी गई। उक्त गलत तरमीम की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की कब्जासुदा खरीदसुदा भूमि के दक्षिणी तरफ की पुरानी माठो को खुर्द बुर्द कर हड़प करना चाहते हैं इसी उद्देश्य

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)

CamScanner

दिनांक 08.10.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 पुलिस थाना कापरड़ा को लेकर प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 332 पर आया एवं प्रार्थीगण की खसरा संख्या 332 की दक्षिणी भूजा को जेसीबी से समतल कर खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया एवं खसरा संख्या 332 की दक्षिणी भूजा में स्थित पेड़–पौधों को हटा दिया तथा प्रार्थीगण की कब्जासुदा भूमि हड़प करने की कोशिश की। तब प्रार्थीगण द्वारा विरोध करने पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं पुलिस थाना कापरड़ा वहाँ से चले गये एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को कहा कि मौका मिलते ही तुम्हारी कब्जासुदा जमीन पर प्लॉट काट के बैचान करके रहूंगा जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की खरीदसुदा कब्जासुदा भूमियों की पुरानी माठो को हटाकर गलत तरमीम की आड़ में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं। यहाँ यह भी उल्लेखित करना आवश्यक हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 332/1 के उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की माठ/धोरा नहीं हैं बल्कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 332 के पुराने धोरे व माठे कायम हैं। इसलिए प्रार्थीगण अपने पुराने धोरे व माठे खुर्द बुर्द नहीं कर रहा हैं बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 पुलिस थाना कापरड़ा के सहयोग से प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 332 के दक्षिण में स्थित धोरे को खुर्द बुर्द कर कब्जा करना चाहता हैं जो विधि विरुद्ध हैं। अतः जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे एवं खसरा संख्या 331 व 332 के पुरानी माठे व धोरो की मौके की स्थिति प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय जो स्थिति थी वही स्थिति रखी जायें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि वह पुलिस थाना कापरड़ा के सहयोग से खसरा संख्या 331 व 332 की पुरानी माठे व धोरे को खुर्द बुर्द नहीं करें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो अता फरमायें।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाइ जावे कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान वादग्रस्त आराजीयाँ ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या 331 रकबा 8.7857 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा संख्या 332 रकबा 4.4091 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में अप्रार्थी संख्या 1 न तो स्वयं दखलदांजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें । अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी की पुरानी माठे व धोरे को खुर्द बुर्द कर वादग्रस्त आराजीयों से प्रार्थीगण को बेदखल करने की कुचेष्टा न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें। मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमाये और यह भी निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 331/1 आज दिनांक तक काश्त नही हुई है और माठे भी नही हैं। पिछले 60 वर्षो से प्रार्थीगण की काश्त है। राजस्व कर्मचारी द्वारा तरमीम की हुई है प्रार्थी की 60 वर्ष से खरीदसुदा भूमि को गलत तरमीम कराया है, वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 331 व 332 को दिनांक 16.01.1960 को भूपालसिंह से खरीद की गई थी, खरीद के बाद अन्य अप्रार्थी को बेचान किया । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के हक में अता फरमाये जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब दावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे एवं

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

खसरा संख्या 331 व 332 के पुरानी माडे व धोरो की मौके की स्थिति प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय जो स्थिति थी वही स्थिति रखी जाये। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह पुलिस थाना कापरड़ा के सहयोग से खसरा संख्या 331 व 332 की पुरानी माडे व धोरे को खुर्द बुर्द नही करें एवं निवेदन किया है कि पजेशन को लेकर कोई विवाद नही है अपनी भूमि पर काबिज काश्त है अप्रार्थी सं. 1 की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 की कब्जेसुदा मान रहे है एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में 332/1 के कब्जे को नही मान रहे है, पूर्व की स्थिति को दर्शाने वाली मौका रिपोर्ट नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मिथ्या बनावटी तथ्यो पर आधारित होने से मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

हमने बहस वकुलाय सुनी जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तोवजो का परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन स्पष्ट है कि ग्राम बोयल के खसरा नम्बर 331 व 332 में प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है एवं प्रत्येक खातेदार के स्वयं के अधिकार होते है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो के संबंध में कोई ऐसा साक्ष्य पेश नही कर पाए जो ये बताए कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 331, 332 में अप्रार्थी द्वारा कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की जा रही हैं। अतः प्रथम दृष्टयता प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहे है कि उक्त खसरान के संबंध में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की आवश्यकता क्यो है, व न ही प्रार्थीगण यह सिद्ध कर पाए है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि से काश्त करने से रोक रहे हैं। अतः अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सिद्ध नही कर पाने के कारण खारिज किया जाता है।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर